

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी— विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
72/2018

दायर दिनांक  
19.06.2018

निर्णय दिनांक  
30.03.2021

## अनवान

1. रामचन्द्र पिता गणेशलाल जाति सुथार आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़

प्रार्थी

## बनाम

1. शंकरलाल पिता भवानीराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी बालारडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
2. सोहनलाल पिता भैरूलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी बालारडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
3. रामेश्वर लाल पिता भैरूलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी बालारडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
4. भैरूलाल पिता लालू जाति व्यास आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
5. अशोककुमार पिता रामनाथ जाति त्रिपाठी आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़

अप्रार्थीगण

उपस्थिति:— अधिवक्ता श्री गोपाल दाधीच  
एक तरफा

प्रार्थी  
अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम:—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कपासन पटवार हल्का कपासन ए तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबंदी संवत् 2072-2075 के खाता संख्या 1375 में अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 4093, कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और शेष अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात की मौके पर



अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 30.03.2021 को अप्रार्थीगण 1, 2, 3 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण 1, 2, 3 के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। व अप्रार्थीगण संख्या 4, 5 के खिलाफ कार्यवाही ड्राप किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर बहस सुनी गयी व कार्यवाही ड्राप की गई। इस पर हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा कपासन पटवार हल्का कपासन ए तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2072-2075 के खाता संख्या 1375 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 4093, कृषि भूमि प्रार्थी फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 800/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 30.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
कपासन



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official